न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 23/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री विष्णु मोहन शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
   मैसर्सः—विष्णु किराना स्टोर, BPHC के सामने, मानपुर, तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

दिनांकः— 24.04.2024

—: आदेश :—

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 11.12.2023 को सायंकाल 03:00 बजे मैसर्स विष्णु किराना स्टोर, BPHC के सामने, मानपुर, तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मालिक श्री विष्णु मोहन शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपस्थित मिला। श्री विष्णु मोहन शर्मा ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक साफ सुथरी प्लास्टिक की बाल्टी में लगभग 5 लीटर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जांच हेतु 1.600 लीटर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) खरीदा, जिसकी कीमत 210 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1.600 लीटर सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर (400—400 ग्राम) डालकर बोतलों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG—4051 गोंद से चिपकाकर नमूनो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर नमूनो पर एफ.बी.ओ. विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा स्वयं श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 12.12.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.12.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाया। नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.12.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:25:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या : 23/2024 FSSA

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./5191/एक्ट/2023/5274 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का नमूना Contravention to the Regulation No. 2.3.15(b) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (Sale of oils & fats is restricted in loose condition) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./5191/एक्ट/2023/5274 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) Contravention to the Regulation No. 2.3.15(b) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (Sale of oils & fats is restricted in loose condition) पाया गया है। विक्रेता ने खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) के पैक टिन ग्राहको द्वारा खुला मांगे जाने पर पैक टिन को को खोलकर ग्राहको की मांग के अनुसार ही विक्रय किया जाता है। हमे यह मालूम नहीं था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार खुला सरसों का तेल विक्रय करना वर्जित है। भविष्य में हमारे द्वारा खुला सरसों के तेल का विक्रय नहीं किया जावेगा। प्रथम बार हुई गलती के लिये प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./5191/एक्ट/2023/5274 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का नमूना Contravention to the Regulation No. 2.3.15(b) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सरसों का तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री विष्णु मोहन शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मैसर्सः—विष्णु किराना स्टोर, BPHC के सामने, मानपुर, तहसील सिकराय जिला दौसा पर 10000/—(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 24.04.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/FSSA/ 2024/122-124

दिनांकः— 24.04.2024

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विष्णु मोहन शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
मैसर्सः—विष्णु किराना स्टोर, BPHC के सामने, मानपुर, तहसील सिकराय जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:25:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा